







फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 18.11.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा फर्जी बयानों के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगांज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 152/23 धारा- 420/467/468/471/504/506 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त रामनाथ जाटव पुत्र उल्फत निवासी ग्राम आजमपुर मजरा बान गांव थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक- 18.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने जुर्म से माफी मांगते हुए बताया कि साहब गलती हो गयी मेरी मुलाकात संजू पुत्र रमेश सिंह निवासी गूजरपुर थाना कम्पिल से हुई थी जोकि हमारे समधी रामेश्वर के गांव का है। मेरी लड़की रामेश्वर के लड़के को ब्याही है जिस कारण मेरा अपने समधी के यहाँ गूजरपुर कम्पिल आना जाना था। वही मैं संजू से मिला था संजू ने मुझे रूपये का लालच दिया और कहा कि तुमको कुछ पैसे मिल जायेंगे, छोटा सा एक काम है जिस कारण मैं उनके बहकावे में आकर रजिस्ट्री करने के लिए संजू के साथ कायमगंज चला गया था संजू ने ही मिलकर मेरा फर्जी नाम पते से आधार कार्ड बनवाकर बैनामा में लगवाया था जिसमें नम्बर मेरे ही आधार कार्ड का था किन्तू राजवीर सिंह पुत्र रघुवर निवासी सिकन्दरपुर महमूद थाना शमसाबाद के नाम से बना था। साहब मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दो मैं पैसे के लालच में आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. रामनाथ जाटव पुत्र उल्फत निवासी ग्राम आजमपुर मजरा बान गांव थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामनाथ जाटव –

1. मु0अ0सं0 152/23 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना शमसाबाद।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह
3. का0 मोहनलाल
4. का0 महकार सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।





